



प्रेषक,

कमलेश कुमार,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक 09 अक्टूबर, 2026

विषय:- जिला कारागार, सुलतानपुर में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी विजय पाल पुत्र श्री शिववचन, निवासी जनपद-अमेठी की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-20825/प्र0अनु0(7)-फार्म-ए सीमित कारावास/15/2026(बै0दि0 20.04.2026) दिनांक-26.05.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, सुलतानपुर में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी विजय पाल पुत्र श्री शिववचन, जो जरौली बडगाँव, थाना-संग्रामपुर, जनपद-अमेठी का निवासी है। दिनांक 19.09.2015 को अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा की 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री को घर में अकेला पाकर उसके साथ जबरन बलात्कार करने का अपराध कारित किया गया। बन्दी को सत्र परीक्षण सं0- 147/2015, भा0द0वि0 की धारा-4 पाकसो एक्ट के अंतर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, पाकसो एक्ट, सुलतानपुर, के आदेश दिनांक 18.07.2023 द्वारा 10 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ के समक्ष विचाराधीन है। बंदी द्वारा दिनांक 10.09.2025 तक अपरिहार 04 वर्ष, 01 माह, 16 दिन तथा सपरिहार 04 वर्ष, 07 माह, 09 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोवेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, अमेठी द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 कि०एल०जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बंदी द्वारा कारित अपराध महिला से सम्बन्धित है जिसके कारण समाज में महिलाओं में भय की स्थिति बनाते हुए सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं आने, बंदी द्वारा भविष्य में अपराध कारित करने से इंकार नहीं किये जा सकने, बन्दी की वर्तमान आयु करीब 25 वर्ष होने के कारण बन्दी द्वारा पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने एवं बन्दी द्वारा कारित अपराध से वादी के परिवार में अभी भी रोष व्याप्त होने के कारण बन्दी को जेल में निरुद्ध रखना आवश्यक होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोवेशन बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक 19.09.2015 को अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा की 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री को घर में अकेला पाकर उसके साथ जबरन बलात्कार करने का अपराध कारित किया गया। जिला प्रोवेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक् परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोवेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी विजय पाल पुत्र शिववचन को फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, सुलतानपुर में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी विजय पाल (बन्दी संख्या-242/2023) पुत्र श्री शिववचन, निवासी जनपद-अमेठी की यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी के लाईसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेन्स पर शासन का आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-1394/2026/1072(1)/22-2-2026 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- जिला मजिस्ट्रेट, अमेठी।
- 2- पुलिस अधीक्षक, अमेठी।
- 3- अधीक्षक, जिला कारागार, सुलतानपुर।
- 4- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
- 5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

दिनांक: 09 अक्टूबर, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, सुलतानपुर में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी विजय पाल पुत्र श्री शिववचन, जो जरौली बडगाँव, थाना-संग्रामपुर, जनपद-अमेठी का निवासी है। दिनांक 19.09.2015 को अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा की 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री को घर में अकेला पाकर उसके साथ जबरन बलात्कार करने का अपराध कारित किया गया। बन्दी को सत्र परीक्षण सं०- 147/2015, भा०द०वि० की धारा-4 पाक्सो एक्ट के अंतर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, पाक्सो एक्ट, सुलतानपुर, के आदेश दिनांक 18.07.2023 द्वारा 10 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ के समक्ष विचाराधीन है। बन्दी द्वारा दिनांक 10.09.2025 तक अपरिहार 04 वर्ष, 01 माह, 16 दिन तथा सपरिहार 04 वर्ष, 07 माह, 09 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोवेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, अमेठी द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनिन ऑफ इंडिया, 2000 कि०एल०जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध महिला से सम्बन्धित है जिसके कारण समाज में महिलाओं में भय की स्थिति बनाते हुए सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं आने, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध कारित करने से इंकार नहीं किये जा सकने, बन्दी की वर्तमान आयु करीब 25 वर्ष होने के कारण बन्दी द्वारा पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने एवं बन्दी द्वारा कारित अपराध से वादी के परिवार में अभी भी रोष व्याप्त होने के कारण बन्दी को जेल में निरुद्ध रखना आवश्यक होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोवेशन बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक 19.09.2015 को अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा की 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री को घर में अकेला पाकर उसके साथ जबरन बलात्कार करने का अपराध कारित किया गया। जिला प्रोवेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक् परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोवेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी विजय पाल पुत्र शिववचन को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बन्दी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार
उप सचिव।